

कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय

प्लाट नं०-18, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ

e-mail: chiefengineerudd@gmail.com, website: www.localbodies.co.in

पत्र संख्या- ५५९०/२/OM&M Cell / २०२२-२३

दिनांक: १४ अक्टूबर, २०२३

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1 प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
लखनऊ। | 2. सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ। |
| 3 निदेशक,
नगरीय निकाय, निदेशालय,
लखनऊ। | 4. सहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ। |

महोदय/महोदया,

नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-शासनादेश संख्या-५४८३/नौ-५-२०१७-४४७सा/२०१७ दिनांक १२.०२.२०१८ द्वारा कुल ०४ जोन- लखनऊ, गोरखपुर (गोरखपुर, अयोध्या), आगरा एवं गाजियाबाद (गाजियाबाद, पिलखुआ, लोनी, अनूपशहर, विजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर) हेतु वन सिटी-वन आपरेटर सिद्धान्त पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एस०टी०पी०) व इससे जुड़े इकारान्द्रवर्कर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक (१० वर्ष) के संचालन, रख-रखाव एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी है।

२. उक्त कार्य के लिए आबद्ध फर्म को कार्य/सेवाओं के सापेक्ष प्रस्तुत Payment Certificate/Bill के भुगतान एवं सैटेलेमेन्ट की सत्त्वति हेतु शासनादेश संख्या-५०४/नौ-५-२०२०-३९४सा/२०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गयी है।

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
4	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र०	सदस्य-सचिव
5	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
6	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

३. लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा एवं गोरखपुर जोन के लिए एजेंडा के अनुसार फर्म द्वारा कराये गये कार्यों एवं प्रदान की गयी सेवाओं के सापेक्ष प्राप्त बिलों पर निर्णय लेने हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक ०९.१०.२०२३ को अपराह्न ०२:३० बजे स्थानीय निकाय निदेशालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में सम्पन्न हुई जिसका कार्यवृत्त संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(कमलजीत सिंह)
मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव

प्रतिलिपि—

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-९, उ०प्र० शासन लखनऊ।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर/अयोध्या/गोरखपुर।
- मुख्य अभियन्ता (नागर/विधायां) प्रधान कार्यालय-उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ/गोरखपुर/अयोध्या/आगरा/गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर।
- संवंधित महाप्रबन्धक, जल कल विभाग (नगर निगम)।
- संवंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद।
- सम्बन्धित फर्म।

४ मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव

संख्या : ५५१२)०८१८८११११२२२३

दिनांक : १४ अक्टूबर, २०२३

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उम्रो शासन की अध्यक्षता में एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के १० वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- ४ Lucknow Zone, Package- ६ Agra Zone, Package-८ Ghaziabad Zone, Package-५ Gorakhpur Zone) की दिनांक ०९.१०.२०२३ को अपराह्न ०२:३० बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के १० वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- ४ Lucknow Zone, Package- ६ Agra Zone, Package-८ Ghaziabad Zone, Package-५ Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-२३१९ / नौ-५-२०१९-३९४सा/२०१८ दिनांक ११.०६.२०१९ द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तदनुसार सम्बंधित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या-८४९ / नौ-९-१९-८९४ / २००१ दिनांक १८ जुलाई, २०१९ द्वारा मूल बजट रु० २५०.०० करोड़ एवं शासनादेश संख्या-२७४८ / नौ-९-२०-८९४ / २००१, दिनांक ३०.१२.२०२० द्वारा पुनरीक्षित बजट रु० ३५०.०० करोड़ प्रतिवर्ष एस०टी०पी० के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी हैं। उम्रो जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-५०४ / नौ-५-२०२० -३९४सा/२०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा समिति गठित की हैं।

समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक ०९.१०.२०२३ को अपराह्न ०२:३० बजे सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जल कल विभाग, नगर निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया एवम् एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया।

एजेण्डावार संस्तुति व तत्क्रम में दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं:-

एजेण्डा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
१	समिति की दिनांक २८ जून-२०२३ के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।
२a)	(i) Exposure visit (ii) Online Registration for Exposure visit (iii) National Level Conference (iv) Inhouse Training (v) Practical Abroad Training	(i) अधिशासी अभियन्ता (ओ०एम०एण्ड एम० सेल) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक लखनऊ में ९०६, गोरखपुर-४६३ तथा गाजियाबाद-५०७ व आगरा-५०७ विद्यार्थियों की visit करायी जा चुकी है। (ii) चर्चा नहीं हो सकी। (iii) चर्चा नहीं हो सकी। (iv) चर्चा नहीं हो सकी। (v) चर्चा नहीं हो सकी।

✓

KZ

Y

एजेण्डा सं	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
2 b)	समिति द्वारा National Level की तकनीकी Conference वर्ष में एक बार आयोजित करने तथा फर्म अपने कार्मिकों व विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों की तकनीकी प्रशिक्षण नियमित अंतराल पर कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देश दिये गये कि अनुबंध के क्लॉज-6.12 के अनुसार inhouse training व abroad practical training कराने का schedule व Program फर्मों द्वारा प्रस्तुत किया जाए।	चर्चा नहीं हो सकी।
2 c)	STPs पर जनित रुलज की साइंटीफिक अध्ययन कर एवं अन्य विकल्प यथा Fisheries, Horticulture, Methane reuse, Solar power generation, treated water के credible solution इत्यादि से Revenue Generation की संभावनाओं पर कार्यवाही की जाए। फर्मों द्वारा Innovative कार्यों अथवा New Initiative की कार्य योजना।	अध्यक्ष महोदय निर्देश दिये गये कि Reuse of water के संबंध में उ०प्र० जल निगम एस०टी०पी० वार यह तय करें कि उपलब्ध शोधित जल की quality के अनुसार किन कार्यों हेतु reuse किया जाये। इस सम्बन्ध में उचित होगा कि शोधित जल के प्रयोगकर्ता से उपलब्ध गुणता के जल के पुनः उपयोग हेतु लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाये। अध्यक्ष महोदय ने 02 माह के अन्दर Reuse of water प्रारंभ करने के निर्देश समस्त फर्मों को दिये। आवश्यकता हो तो टेंकर का इस्तेमाल कर भी पानी का reuse किया जाये। साथ ही निर्देश दिये गये कि दिनांक 20.10.2023 को वन सिटी वन ऑपरेटर के साथ Reuse of water पर सेमीनार आयोजित किया जाये।
2 d)	प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ऑनलाइन बिलिंग व मॉनीटरिंग की व्यवस्था लागू की जाने हेतु निर्देशित किया गया।	पोर्टल का प्रस्तुतीकरण किया गया। श्री सौरभ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता (ओ०एम०एण्ड एम० सेल) द्वारा अवगत कराया गया की पोर्टल का उद्देश्य बिलिंग को समयान्तर्गत करना, Online अनुश्रवण यथा OCEMS, T&P movement, Field Staff movement, toll free no. से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण आदि तथा मेजर रिप्लेसमेन्ट के अन्तर्गत डी०पी०आर० की स्वीकृति व कार्य की मॉनिटरिंग इत्यादि है। प्रथम चरण में Billing module तैयार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि landing page पर Hits, Exposure visit हेतु online registration, IEC activity की फोटो तथा फोटो गैलरी इत्यादि हो। साथ ही निर्देश दिये कि पोर्टल पर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०

एजेण्डा सं	ओ०ए०ए०ए० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
		<p>जल निगम (नगरीय) व श्री अखिल सिंह, सहायक निदेशक (लेखा), नगर निकाय निदेशालय, लखनऊ से मत प्राप्त कर लिया जाये। साथ ही निर्देश दिये कि नवम्बर माह की बैठक पोर्टल के माध्यम से करायी जाये।</p> <p>कार्यवाही:—ओ०ए०ए०ए० सेल/उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</p>
2 e)	OCEMS प्रणाली के लागू होने के उपरान्त वन सिटी वन ऑपरेटर के माध्यम से संचालित STPs के ट्रीटेड एफ्लूएन्ट के पैरामीटर्स का OCEMS से प्राप्त रीडिंग से मिलान किया जाए।	मुख्य अभियन्ता (वि०/याँ०) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि संचालित STPs के ट्रीटेड एफ्लूएन्ट के पैरामीटर्स का OCEMS से प्राप्त रीडिंग से मिलान किया जा रहा है।
2 f)	अध्यक्ष महोदय द्वारा उ०प्र० राज्य में एस०टी०पी० हेतु एन०जी०टी० के अनिस्तारित प्रकरणों का संज्ञान लेते हुये निर्देश उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को दिये गये कि राज्य में स्थित समस्त एस०टी०पी० के संचालन एवं रखरखाव का प्रस्ताव प्राप्त किया जाए, रखरखाव मद में संभावित व्यय के वित्तीय व्यवस्था कराये जाने तथा Assets को As is Where is बेसिस पर संबंधित विभाग से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।	एजेण्डा संख्या—13 पर विचार विमर्श किया गया।
2 g)	विभिन्न एस०टी०पी० व एस०पी०एस० पर शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि में पौधे लगाये जाने की कार्यवाही किया जाना।	चर्चा नहीं हो सकी।
2 h)	अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अनुज त्रिपाठी, मेसर्स वी०ए०टेक० वाबाग, आगरा को निर्देशित किया गया कि सोलर प्लान्ट के बारे में पूर्ण विवरण व डिजाइन/ड्राइंग के साथ प्रस्तुतीकरण मुख्य अभियन्ता के माध्यम से समिति के आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	चर्चा नहीं हो सकी।

(S) ✓ C ✓ T

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश	
३/ गाजिया बाद	<p>उ०प्र० जल निगम द्वारा माह मई-२०२३ (अवशेष), जून-२०२३, जुलाई-२०२३ के सत्यापित बिलों का एवम् माह अगस्त-२०२३ के बिल का अनुबंध के सेक्शन-VI, कलॉज-६.६ के अनुसार ७५ प्रतिशत धनावंटन करने की संस्तुति ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी।</p> <p>उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रेषित सत्यापित बिलों पर ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति निम्नवत है:-</p>	<p>समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/संबंधित नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल /अधिशासी अधिकारी को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।</p>	
क्र. सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	32th Payment Certificate/Bill- July, 2022 (Correction in Bills due to typing error)	39th Payment Certificate/Bill- Feb, 2023 (Correction in Bills due to typing error)
१-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	37,84,372.00	13,40,108.00
२-	जी०एस०टी० (१२%&१८%)	4,54,125.00	2,41,219.00
३-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	0.00
४-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस (१०%)	3,78,437.00	1,34,011.00
५-	योग (१+२+३+४)	46,16,934.00	17,15,338.00
क्र. सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	42th Payment Certificate/Bill- May, 2023 (Balance Payment)	43th Payment Certificate/Bill- June, 2023
१-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	1,97,83,186.00	8,21,73,869.00
२-	जी०एस०टी० (१२%&१८%)	35,60,974.00	1,47,91,296.00
३-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	16,11,323.00
४-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जस (१०%)	19,78,319.00	82,17,387.00
५-	योग (१+२+३+४)	2,53,22,479.00	10,67,93,875.00

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना				समिति द्वारा दिये गये निर्देश
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	44 th Payment Certificate /Bill-July, 2023	45 th Payment Certificate /Bill-August, 2023 (Adhoc Payment)		
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	7,85,90,554.00	5,28,51,063.00		
2-	जी०एस०टी० (18%)	1,36,44,720.00	95,13,191.00		
3-	पयूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	23,67,227.00	14,61,397.00		
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जस (10%)	75,80,400.00	52,85,106.00		
5-	योग (1+2+3+4)	10,21,82,901.00	6,91,10,757.00		
6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	30,97,42,284.00			
7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एक्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	2,02,58,437.50			
4/ लखनऊ	उ०प्र० जल निगम द्वारा माह जून-2023, जुलाई-2023 व अगस्त-2023 के सत्यापित बिलों पर धनावंटन की संस्तुति ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी। उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रेषित सत्यापित बिलों पर ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति निम्नवत् है:-				समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा उ०प्र० जल निगम (नगरीय) /नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	44 th Payment Certificate/Bill-June- 2023	45 th Payment Certificate/Bill-July- 2023	46 th Payment Certificate/Bill-August- 2023	
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	7,37,55,882.00	7,39,66,918.00	7,39,10,498.00	
2	जी०एस०टी० (18%)	1,32,76,059.00	1,33,14,045.00	1,33,03,890.00	
3	पयूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	3,69,261.00	2,46,616.00	11,85,233.00	
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जस (10%)	73,75,588.00	73,96,692.00	73,91,050.00	
5	योग (1+2+3+4)	9,47,76,790.00	9,49,24,271.00	9,57,90,671.00	


9

5

6

7

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश																														
6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	28,54,91,732.00																														
7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	2,02,58,437.50																														
5 / आगरा	<p>उ०प्र० जल निगम द्वारा मई–2023 (अवशेष), जून–2023, जुलाई–2023 व अगस्त–2023 के सत्यापित बिलों का एवम् माह सितम्बर–2023 के बिल का अनुबंध के सेक्षन–VI, कलॉज–6.6 के अनुसार 75 प्रतिशत धनावंटन करने की संस्तुति ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी।</p> <p>उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रेषित सत्यापित बिलों पर ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति निम्नवत हैः—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण</th><th>42nd Payment Certificate / Bill – May, 2023 (Balance Payment)</th><th>43rd Payment Certificate / Bill – June, 2023</th><th>44th Payment Certificate / Bill – July, 2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-</td><td>पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि</td><td>85,89,325.00</td><td>3,45,26,988.00</td><td>3,47,19,101.00</td></tr> <tr> <td>2-</td><td>जी.एस.टी. (18%)</td><td>15,46,078.00</td><td>62,14,858.00</td><td>62,49,438.00</td></tr> <tr> <td>3-</td><td>फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)</td><td>0.00</td><td>3,07,048.00</td><td>4,32,346.00</td></tr> <tr> <td>4-</td><td>उ०प्र० जल निगम को देय सेन्ट्रेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)</td><td>8,58,933.00</td><td>34,52,699.00</td><td>34,71,910.00</td></tr> <tr> <td>5-</td><td>योग (1+2+3+4)</td><td>1,09,94,336.00</td><td>4,45,01,593.00</td><td>4,48,72,795.00</td></tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	42 nd Payment Certificate / Bill – May, 2023 (Balance Payment)	43 rd Payment Certificate / Bill – June, 2023	44 th Payment Certificate / Bill – July, 2023	1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	85,89,325.00	3,45,26,988.00	3,47,19,101.00	2-	जी.एस.टी. (18%)	15,46,078.00	62,14,858.00	62,49,438.00	3-	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	3,07,048.00	4,32,346.00	4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्ट्रेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	8,58,933.00	34,52,699.00	34,71,910.00	5-	योग (1+2+3+4)	1,09,94,336.00	4,45,01,593.00	4,48,72,795.00	समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा उ०प्र० जल निगम (नगरीय) /नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
क्र. सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	42 nd Payment Certificate / Bill – May, 2023 (Balance Payment)	43 rd Payment Certificate / Bill – June, 2023	44 th Payment Certificate / Bill – July, 2023																												
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	85,89,325.00	3,45,26,988.00	3,47,19,101.00																												
2-	जी.एस.टी. (18%)	15,46,078.00	62,14,858.00	62,49,438.00																												
3-	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	3,07,048.00	4,32,346.00																												
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्ट्रेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	8,58,933.00	34,52,699.00	34,71,910.00																												
5-	योग (1+2+3+4)	1,09,94,336.00	4,45,01,593.00	4,48,72,795.00																												



एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना				समिति द्वारा दिये गये निर्देश
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	45 th Payment Certificate/Bill - August, 2023	46 th Payment Certificate/Bill - September, 2023 (Adhoc Payment)		
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	3,49,43,662.00	2,57,70,994.00		
2-	जी.एस.टी. (18%)	62,89,859.00	46,38,779.00		
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	2,21,000.00		
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	34,94,366.00	25,77,099.00		
5-	योग (1+2+3+4)	4,47,27,887.00	3,32,07,873.00		
6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि		17,83,04,484.00		
7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निर्देशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण		2,02,58,437.50		
6/ गोरखपुर	उ०प्र० जल निगम द्वारा माह—मई—2023 (अवशेष), जून—2023 व जुलाई—2023 के सत्यापित बिलों पर ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा माह अगस्त—2023 के बिल का अनुबंध के सेक्शन—VI, कलॉज—6.6 के अनुसार 75 प्रतिशत धनावंटन करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी। उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रेषित सत्यापित बिलों पर ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संशोधित संस्तुति निम्नवत है—			समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा उ०प्र० जल निगम (नगरीय) /नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक,	समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा उ०प्र० जल निगम (नगरीय) /नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक,
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	25 th Payment Certificate/Bill - Dec-2021 (Correction in Bills due to typing error)	41 th Payment Certificate/Bill - Jan-2023 (Correction in Bills due to typing error)	45 th Payment Certificate/Bill - May, 2023 (Balance Payment)	
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	5,10,000.00	4,99,103.00	10,68,816.00	जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
2	जी०एस०टी० (18%)	61,200.00	89,839.00	1,92,387.00	
3	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	0.00	0.00	
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	51,000.00	49,910.00	1,06,882.00	
5	योग (1+2+3+4)	6,22,200.00	6,38,852.00	13,68,085.00	

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश																						
क्र. सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	46 th Payment Certificate / Bill - June, 2023	47 th Payment Certificate / Bill - July, 2023	48 th Payment Certificate / Bill - August, 2023 (Adhoc Payment)																				
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	69,08,254.00	62,61,847.00	50,69,324.00																				
2	जी०एस०टी० (18%)	12,43,486.00	11,27,132.00	9,12,478.00																				
3	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	1,90,053.00	2,03,873.00	1,32,110.00																				
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्ट्रेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	6,90,825.00	6,26,185.00	5,06,932.00																				
5	योग (1+2+3+4)	90,32,618.00	82,19,037.00	66,20,844.00																				
6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	2,65,01,636.00																						
7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	1,24,16,460.84																						
(vii), (viii), (ix) एवं (x)	<p>सदस्य सचिव द्वारा अनुरोध करते हुये अवगत कराया गया कि उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर से सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्राप्त विद्युत बिलों को परीक्षणोपरान्त व संस्तुति के साथ प्रेषित किया है। सदस्य सचिव द्वारा विद्युत बिल पर धनावटन हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी।</p> <p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति निम्नवत है—</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र०स०</th> <th>जोन का नाम</th> <th>आवंटित की जाने वाली धनराशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>आगरा जोन</td> <td>1,92,51,338.37</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>गाजियाबाद जोन</td> <td>4,43,17,758.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>लखनऊ</td> <td>5,52,62,294.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>गोरखपुर जोन</td> <td>48,41,119.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">महायोग</td><td style="text-align: right;">12,36,72,509.37</td> </tr> </tbody> </table> <p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा एजेंडा iii से x तक की संकलित संस्तुति संलग्न है (संलग्नक-1)।</p>	क्र०स०	जोन का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि	1	2	3	1	आगरा जोन	1,92,51,338.37	2	गाजियाबाद जोन	4,43,17,758.00	3	लखनऊ	5,52,62,294.00	4	गोरखपुर जोन	48,41,119.00	महायोग		12,36,72,509.37	<p>समिति द्वारा धनावटन की संस्तुति तथा संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।</p>	
क्र०स०	जोन का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि																						
1	2	3																						
1	आगरा जोन	1,92,51,338.37																						
2	गाजियाबाद जोन	4,43,17,758.00																						
3	लखनऊ	5,52,62,294.00																						
4	गोरखपुर जोन	48,41,119.00																						
महायोग		12,36,72,509.37																						

एजेण्डा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
(xi)	मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा पर्याप्त स्टेशनों हेतु मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की एजेण्डा के अनुसार संशोधित SOP के संबंध में।	पूर्व निर्धारित प्रक्रिया की भाँति ही स्वीकृति की प्रक्रिया अपनायी जाये। कार्यवाही: उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/ संबंधित नगरीय निकाय
(xii)	<p>फर्म द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का अध्ययन ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा किया गया। सीवर रिप्लेसमेन्ट कार्य जिसमें पूर्व पड़ी सीवर लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण पुनः समान डाया, रलोप तथा इच्चर्ट पर सीवर डाली जानी है, में मेसर्स सुएज इण्डिया प्र००लि० का यह अनुरोध कि सीवर रिप्लेसमेन्ट के कार्य में तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है उचित प्रतीत हेता है।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के क्रम में पूर्व में पड़ी सीवर लाईन के क्षतिग्रस्त होने के उपरान्त पूर्व डिजाईन पर कार्य करने हेतु तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है पर समिति सुविचारित निर्णय लेना चाहे।</p>	<p>पूर्व निर्धारित प्रक्रिया की भाँति ही स्वीकृति की प्रक्रिया अपनायी जाये। साथ ही निर्देश दिये गये कि 15 कार्य दिवस के अन्दर तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, जल निगम द्वारा पूर्ण की जाये। अनुपालन ना होने की दशा में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा भौतिक रूप से समिति के समक्ष उपरिथित होकर स्पष्ट करें कि किन कारणों से तकनीकी स्वीकृति 15 कार्य दिवस में नहीं हो सकी।</p> <p>कार्यवाही:— सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/ संबंधित नगरीय निकाय</p>
(xiii)	सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि वन सिटी वन ऑपरेटर की दिनांक 28.06.2023 की सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गाजियाबाद व आगरा नगर के प्रस्ताव ओ०एम०एण्ड एम० सेल को प्रेषित किये गये हैं। उपरोक्त प्रेषित प्रस्ताव के तालिका का परीक्षण ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा किया गया एवम् base year हेतु संशोधित अनुबंध की लागत ₹ 1,10,74,75,888/- (मय रु 700 लाख मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड हेतु) संस्तुति उपरान्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। साथ ही अवगत कराना है कि इस संबंध में शासनादेश जारी किया जाना उचित होगा एवम् इस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन शासनादेश संख्या—878 / नौ—९—२०२३—८९ज / 2001 दिनांक 17 मई 2023 द्वारा स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष किया जाना होगा। प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	<p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त समिति द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) वन सिटी वन ऑपरेटर पैकेज जिन शहरों में लागू है उन समस्त शहरों से प्रस्ताव प्राप्त कर लिये जाये। (ii) एक स्पष्ट नीति बनाकर सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त अग्रेटर कार्यवाही की जाये। <p>कार्यवाही:— उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/ संबंधित नगरीय निकाय</p>
(xiv)	सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गोरखपुर के पत्र संख्या—555 / कार्य— 5 / 178 दिनांक 14.09.2023 के माध्यम से प्रेषित रु 40,66,915.00 (रु 0 चालीस लाख छियासठ हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) के सापेक्ष ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा किये गये परीक्षणोपरान्त ₹ 37,81,732.32 (सेँतीस लाख इक्यासी हजार सात सौ बत्तीस व पैसे बत्तीस मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु समिति के समक्ष संस्तुति सहित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	<p>समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि माह जुलाई—2020 से माह सितम्बर—2020 तक का Average rainfall data एवं अन्य तत्संबंधी जानकारी के साथ पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p> <p>कार्यवाही:— उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</p>

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
(xv) (xv.i)	<p>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु</p> <p>(a) प्रमुख सचिव महोदय द्वारा लखनऊ पैकेज हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुये मेसर्स सुएज इण्डिया प्राइलिंग द्वारा आख्या चाही गयी। मेसर्स सुएज इण्डिया प्राइलिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री राजेश मठपाल द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र अलीगंज, लखनऊ में नालीयाँ सीवर में जुड़ी होने के कारण सीवर ब्लॉकेज रहता है जिसे शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर निस्तारण कर दिया जाता है। क्षेत्र में अधिकतर जल भराव की समस्या नालियों की सफाई एवं उचित निस्तारण ना होने के कारण होती है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा आख्या बैठक में उपस्थित नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ से भी चाही गयी। नगर आयुक्त महोदय द्वारा श्री राजेश मठपाल द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि नालियों के उचित निस्तारण न होने के कारण जल भराव की समस्या है।</p> <p>(b) प्रमुख सचिव महोदय द्वारा गाजियाबाद एवं सहारनपुर में सीवर समस्या हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा रोष के सम्बन्ध में अवगत कराया एवं जानना चाही कि सीवर समस्या के शिकायत पंजीकरण हेतु कुल कितने कर्मचारी लगें हैं। मेसर्स वी०ए०टेक वाबाग लिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि 04 कर्मचारियों द्वारा कार्य हेतु लगाये गये हैं व दोनों शहरों में सफाई हेतु मशीनों की संख्या में वृद्धि भी की गयी है। श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक माह के अन्दर समस्त समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा करा दिया जायेगा।</p>	<p>(xv.i)</p> <p>प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-</p> <p>i) निदेशालय स्तर से Toll Free Number पर Random call कर इस बात की पुष्टि करायी जाये कि शिकायतों की पंजीकरण प्रक्रिया का संचालन उचित है अथवा नहीं?</p> <p>कार्यवाही:- ओ०एम०एण्ड एम० सेल।</p> <p>ii) फर्मों को निर्देश दिये कि नगर में ऐसा कार्य करें कि कुछ वार्ड्स को Zero complaint ward घोषित किया जा सके।</p> <p>कार्यवाही:- सम्बन्धित फर्म/सम्बन्धित नगर निकाय।</p> <p>iii) पब्लिक IEC के कार्यों को फर्मों द्वारा कराने के निर्देश दिये गये।</p> <p>कार्यवाही:- सम्बन्धित फर्म/सम्बन्धित नगर निकाय / उ०प्र० जल निगम।</p>
(xv.ii)	<p>प्रमुख सचिव महोदय द्वारा मेसर्स तोशिबा वॉटर सॉल्यूशन प्राइलिंग से गोरखपुर शहर हेतु 15 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर राइजिंग मैन से फलो बाईपास के सम्बन्ध में रोष व्यक्त किया गया एवं आख्या चाही गयी। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अखिलेश ने अवगत कराया कि सीवर में नाली जुड़ी होने के कारण वर्षा के समय अधिक जल पम्पिंग स्टेशन से एस०टी०पी की डिजाईन क्षमता से अधिक जल आने के कारण बाईपास किया गया। श्री अखिलेश द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 15 दिनों से कार्य अनवरत कराया जा रहा है।</p>	<p>(xv.ii)</p> <p>अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म के कारण-दर्शक नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये।</p> <p>कार्यवाही:- उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</p>

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
(xv.iii)	अध्यक्ष महोदय द्वारा Fecal Coliform के कार्यों के प्रगति के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी जिस पर मेसर्स वी०ए०टेक वाबाग लि० द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद पैकेज में मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत जिन एस०टी०पी० पर Fecal Coliform के कार्य स्थीकृत हुये हैं उनके कार्य दिनांक 15 नवम्बर-२०२३ तक पूर्ण करा लिये जायेंगे। मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 30 नवम्बर-२०२३ तक भवारा एस०टी०पी० के Fecal Coliform के कार्य पूर्ण करा लिये जायेंगे।	(xv.iii) अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि प्रश्नगत कार्य लक्षित तिथि तक पूर्ण ना होने की स्थिति में Fecal Coliform के नये डिजाइन मानक के अनुसार पेनाल्टी अधिरोपित की जाये। कार्यवाही:- उ०प्र० जल निगम (नगरीय)

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त संबंधित शासनादेशों एवं अनुबंध की शर्तों का अनुपालन किया जाए। साथ ही निर्देश दिये कि प्रभावी अनुश्रवण हेतु जलकल/उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा सीवर कार्यों का एवं एस०टी०पी०/पम्पिंग स्टेशन का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा शासनादेश संख्या-८७८/नौ-९-२०२३-८९ज/२००१ दिनांक 17 मई 2023 के बिन्दु संख्या-६ का अनुपालन किया जाये।

(कमलजीत सिंह)
सदस्य-सचिव

मुख्य अभियन्ता,
ओ०एम०एण्ड एम० सेल,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ

(अखिल सिंह)
सदस्य

उप/सहायक निदेशक (लेखा),
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ

(X) सदस्य १३/११/२३
६०८ सदस्य-सचिव
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

(डॉ नितिन बंसल) १३/१०/२३
सदस्य
निदेशक,

नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ

(राकेश कुमार मिश्र) १३/१०/२३
सदस्य,
प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
लखनऊ

(अमृत अमृजात)
अध्यक्ष
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ

तालिका-1

क्र.सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	गोरखपुर	आगरा जोन	गाजियाबाद जोन	लखनऊ जोन	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	2,03,17,344.00	13,85,50,070.00	23,85,23,152.00	22,16,33,298.00	61,90,23,864.00
2	जी0एस0टी0 (12% & 18%)	36,26,522.00	2,49,39,012.00	4,22,05,525.00	3,98,93,994.00	11,06,65,053.00
3	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	5,26,036.00	9,60,394.00	54,39,947.00	18,01,110.00	87,27,487.00
4	उ0प्र0 जल निगम को देय सेंटेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	20,31,734.00	1,38,55,007.00	2,35,73,660.00	2,21,63,330.00	6,16,23,731.00
5	योग (1+2+3+4)	2,65,01,636.00	17,83,04,483.00	30,97,42,284.00	28,54,91,732.00	80,00,40,135.00
6	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	1,24,16,460.84	2,02,58,437.50	2,02,58,437.50	2,02,58,437.50	7,31,91,773.34
7	विद्युत बिल	48,41,119.00	1,92,51,338.00	4,43,17,758.00	5,52,62,294.00	12,36,72,509.00
8	उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि (5+7)	3,13,42,755.00	19,75,55,821.00	35,40,60,042.00	34,07,54,026.00	92,37,12,644.00

(गौरव त्रिपाठी)
सहायक लेखाकार

सौरभ श्रीवास्तव
अधिकारी (ओ0एस0 एप्ड एम० सेल)
नगरीय निकाय निदेशालय